

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 55/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. 1शोभाग पिता गोकल कुमावत निवासी गेगवा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता कालुलाल कुमावत निवासी गेगवा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. सांवरमल पिता गंगाराम कुमावत निवासी गेगवा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट

निर्णय

दिनांक 21.06.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण के ग्राम गेगवा पटवार हल्का रलायता तहसील फुलियाकलां में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आ०न० 286 रकबा 0.50 है०, आ०न० 287 रकबा 0.29 है०, आ०न० 291 रकबा 0.21 है०, व आ०न० 297 रकबा 0.55 है० आराजी कुल किता 04 रकबा 1.55 है० का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम गेगवा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गेगवा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 04 रकबा 1.55 हैक्टर की

पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 700/- रूपये (अक्षरे सात सौ रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलो मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( एम0पी0 नायक )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

**उपखण्ड अधिकारी एवं**  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

**उपखण्ड अधिकारी एवं**  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

